

# कानपुर में टाटा ब्रांड नमक की नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश, दो शातिर गिरफ्तार, इस तरह कर रहे थे खेल

Publish Date: Tue, 11 May 2021 08:27 PM (IST) Author: Akash Dwivedi



बाबूपुरवा में सेंट्रल पार्क लेबर कॉलोनी के पास टाटा नाम से नमक की नकली फैक्ट्री का संचालन होने की सूचना मिली थी। फैक्ट्री संचालक बाबूपुरवा निवासी दीपक खन्ना और उसके साथी आदर्श नगर रावतपुर गांव निवासी नरेंद्र गोपाल शर्मा को हिरासत में लिया गया।

**कानपुर, जेएनएन।** मिलावटखोरों ने घी, तेल और मसालों के साथ ही अब नमक में भी मिलावट शुरू कर दी है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच और बाबूपुरवा पुलिस ने पांच रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाले सस्ते नमक को टाटा ब्रांड नाम से नमक बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से फैक्ट्री संचालक समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लाखों का माल, पैकिंग मशीनें और टाटा ब्रांड नाम की पॉलीथिन बरामद की गई। पुलिस ने टाटा कंपनी के अधिकारियों को भी जानकारी दी है। बरामद नमक की गुणवत्ता भी देखी जा रही है। कॉपीराइट एक्ट, धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बाबूपुरवा में सेंट्रल पार्क लेबर कॉलोनी के पास टाटा नाम से नमक की नकली फैक्ट्री का संचालन होने की सूचना मिली थी। इस पर फोर्स के साथ छापा मारा गया। मौके से फैक्ट्री संचालक बाबूपुरवा निवासी दीपक खन्ना और उसके साथी आदर्श नगर रावतपुर गांव निवासी नरेंद्र गोपाल शर्मा को हिरासत में लिया गया।

छापे के दौरान टाटा ब्रांड नाम की पॉलीथिन में करीब 20 बोरी तैयार माल और 20 बोरी कच्चा नमक बरामद हुआ। साथ ही सील पैक करने वाली मशीन, बोरी सिलने वाली एक मशीन, तराजू व बांट भी मिले। आरोपितों ने बताया कि वह दादानगर की फैक्ट्रियों से पांच रुपये प्रति किलो वाला साधारण नमक खरीदकर उसे टाटा नाम से तैयार करके व्यापारियों को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देते थे। यही नमक व्यापारी टाटा ब्रांड नमक के तय रेट पर बेचते थे। आरोपित एक वर्ष से यह फैक्ट्री चला रहे थे और सैकड़ों क्विंटल माल बाजार में बेच चुके हैं। प्रतिदिन वह 25 से 30 क्विंटल नमक बेचते थे।

**खाने वाला नहीं हुआ नमक तो लगेंगी और धाराएं :** डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बरामद हुए नमक की खाद्य सुरक्षा टीम से जांच कराई जाएगी। मुंबई स्थित टाटा नमक कंपनी के अधिकारियों को भी फोन करके जानकारी दी गई है। वह भी अधिकृत प्रतिनिधि से जांच कराएंगे। उनकी तहरीर को भी मुकदमे में शामिल किया जाएगा। अगर पैकेटों में भरा नमक खाने योग्य नहीं हुआ तो आरोपितों के खिलाफ अन्य धाराएं भी लगेंगी।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-tata-brand-salt-factory-busted-in-kanpur-two-vicious-arrested-21635210.html>